

प्रपत्र-2.1

भाग- ॥
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान लिलबाड़ा नगर पंचायत फैजाले झज्जरा

- | | | |
|-------|---|---|
| i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | <u>उत्तराखण्ड</u>
<u>३६५४१०</u> |
| ii) | जिला | <u>३६५४१०</u> |
| iii) | वन प्रभाग | <u>३६५४१०</u> वन इकाइ ०.८५५० |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | १.२३४ <u>६०</u>
<u>आराफ़ाल</u> / वन प्रचार
०.२७५ <u>६०</u> , ०.९६ <u>६०</u> |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | <u>०.४० - ०.५०</u> |
| vi) | हरियाली का घनत्व | <u>बुर्झ बिहारी</u>
<u>३००००</u> |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - ८ मी० पर परिणना भी संलग्न किए जाए | <u>३००००</u> |
| viii) | भूक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | <u>३००००</u> |
| ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | <u>०.६५० Km.</u> |
| x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए) | <u>३६१</u> |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ/ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | <u>३६१</u> |
| xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | <u>३६१</u> |
| 8- | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | <u>३६१</u> |
| 9- | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। | <u>३६१</u> |

10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्षमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
 - ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्षमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
 - iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
 - iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
 - v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।
- 11— जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 12— प्रभाग/जिला प्रोफाइल संक्षेपमाला के प्रभाग संक्षेपमाला
- जिला का भौगोलिक क्षेत्र।
- i. जिला का वन क्षेत्र।
 - ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। 190 कर्ग / 1588.70 ha.c
 - iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर 201.9 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर
- (ख) वनेत्तर भूमि पर 1588.70 ha.c

13— प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने प्रस्ताव विकास कार्य से के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश से संकान्दित है, लिखायी जाती है

दिनांक.....

स्थान संक्षेपमाला

हस्ताक्षर

नाम खल ५० - २०१८

उप वन संरक्षक
सरकारी साहस्र
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग